महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में मेगा कानूनी जागरुकता शिविर

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी. गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

■ अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवाना ही आयोग का मुख्य उद्देश्य

अर्थ प्रकाश/रवि पाहूजा

अम्बाला/मुलाना, 14 अक्तूबर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महर्षि मार्कण्डेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित किया गया। मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प के मुख्य अतिथि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी सी गुप्ता थे। मेगा कैम्प की अध्यक्षता सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ0 सुखदा प्रीतम द्वारा की गई। मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार आयोजित किया गया।

मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प में लगभग 35 विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर विषयगत जानकारी दी गई और मौके पर ही उनके विभाग से सम्बंधित कार्यों बारे पूछा गया। जिला युवा विकास संगठन द्वारा 6 निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों [illegible] वितरित किया गया तथा 10 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई के प्रमाण पत्र दिए गए और निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 70 बच्चों की स्कूल फीस की राशि का चेक भी दिया गया। इसी प्रकार रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल की ओर से 15 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई तथा 5 हजार सेनेटरी पैड वितरित किये गए।

इस अवसर पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित करने की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग भी लोगों को निर्धारित समय के दौरान सरकारी सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य रहा है। उन्होने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ लोगों की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए आयोग कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया है।